संख्याः 134/18(1)/2014-03(02)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1 देहरादूनःदिनांक 08 फरवरी,2014

विषयः- राज्य में नियमित पुलिस की भांति राजस्व पुलिस कर्मियों को एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 7774/रा0प0-रा0पु0/2014 दिनांक 28-1-2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस में नियुक्त राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय), राजस्व उप-निरीक्षक (पटवारी) एवं राजस्व सेवक जिनको द्वितीय शनिवार, रविवार व राजकीय अवकाश में भी साधारणतया कार्य करना पड़ता है एवं आवश्यकता पड़ने पर भू-लेख कार्यों के अतिरिक्त राजस्व पुलिस कार्यों के लिए उक्त कार्मिक 24 घण्टे की सेवा हेतु उपलब्ध रहते हैं, को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त सुविधा उन्हीं कार्मिकों को देय होगी जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली होगी। एक वर्ष का आगणन 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के औसत पर किया जायेगा और जो कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रारम्भिक तिथि 01 अप्रैल एवं अंतिम माह मार्च की पहली तारीख को सेवारत हैं, उन्हें 12 माह की सेवा के आधार पर माह मार्च में भुगतान किया जायेगा। वर्ष के मध्य सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों की अनुपातिक दरों पर यह सुविधा देय होगी। इस प्रकार जो कर्मचारी वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरम्भ करते हैं उन्हें भी यह भुगतान सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए समानुपातिक दर पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में जो कर्मचारी 31 मार्च, 2014 को अपनी 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहे हैं और 01 अप्रैल 2013 से कार्यरत हैं, उन्हें एक माह के वेतन के बराबर उपरोक्तानुसार मानदेय अनुमन्य होगा तथा जो वर्ष के बीच में सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा जिन्होंने 01 अप्रैल, 2013 के बाद सेवा आरम्भ की है, को समानुपादिक दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या: 06 लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–00–आयोजनेत्तर–103–भू अभिलेख–03–जिला अधिष्ठान–07–मानदेय के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 221NP/ XXVII(5)/2013–14 दिनांक 8 फरवरी, 2014 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या: / 18(1)/2014–03(02)/2014,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाए, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमॉयू, पौड़ी/नैनीताल।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव